पत्रांक– 11 न0 वि0 अभि0(को0) प्र0 भ0 41/2014 816 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
बांका।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, अमरपुर।

पटना, दिनांक–02/7/18

विषयः– ई–टेन्डरिंग पद्धति द्वारा अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0–02/2018–19 के ग्रुप सं0–01 के कार्य नगर पंचायत, अमरपुर के नगर सरकार भवन के विद्युत एवं जलापूर्ति Sanitation कार्य के कोटेशन के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– कार्यपालक अभियंता, डुडा, बांका का पत्रांक–43(अनु0) दिनांक–29.05.2018, इस कार्यालय का पत्रांक–684 दिनांक–14.06.2018 एवं संवेदक श्री ओम प्रकाश तिवारी का पत्र दिनांक–20.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मान्य एवं न्यूनतम कोटेशनदाता श्री ओम प्रकाश तिवारी से दर प्रक्रमण किया गया एवं तद्नुसार उनके द्वारा कुल 95 मदों के लिए मदवार प्रक्रमित दर पर कार्य करने संबंधी सहमति पत्र दिया गया है।

कोटेशन में दर का आकलन भवन निर्माण विभाग के विद्युत संबंधी अनुसूचित दर पुस्तिका एवं भवन निर्माण विभाग दर पुस्तिका के आधार पर किया गया है।

तद्नुरूप उक्त कोटेशन जिसकी कुल 95 मदों के लिए मदवार दर एवं कुल राशि **13,59,697/–(तेरह लाख उन्नसठ हजार छः सौ संतानवे) रूपये मात्र** है पर न्यूनतम कोटेशनदाता **श्री ओम प्रकाश तिवारी** को उक्त कार्य आवंटित किया जाता है।

तद्नुसार कार्यपालक अभियंता, डुडा, बांका/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, अमरपुर सभी कागजातों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे।
कार्य निम्न निदेशों के अनुरूप करायेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि कोटेशन आमंत्रण सूचना के अनुरूप **01 (एक)** माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. कोटेशन आमंत्रण सूचना के शर्तों के अनुरूप कार्य विशिष्टियों के अनुसार करायेंगे।
4. सभी विद्युत सामग्रियों के अधिष्ठापन में व्यवहार में लगने वाले तार/केबल हैवेल्स/Finolex मेक BIS स्टैंडर्ड का लगाना होगा।
5. कार्य पूर्ण होने के बाद उसका रख–रखाव अगले तीन वर्षों तक करनी होगी। जिसके लिए कोई अन्य राशि भुगतेय नहीं होगी।

E:\V N File 2014\Banka\Banka C.S.docx

6. तकनीकी पर्यवेक्षण मापी पुस्त पर अंकित करने का कार्य कार्यपालक अभियंता, डुडा करेंगे एवं सभी सामग्रियों को निर्धारित मानक के अनुसार व्यवहार में लाया गया है यह सुनिश्चित करेंगे। तदोपरान्त ही भुगतान किया जाएगा।

7. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय। एकरारनामा से पूर्व आवश्यक प्रमाण पत्रों की जाँच मूल पत्रों से कर आश्वस्त हो लेंगे।

8. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

9. अगर कोटेशन में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं कोटेशन का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निर्देश प्राप्त नहीं हो जाय।

10. सामग्रियों की आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन कार्य परिमाण विपत्र में दिए गए विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय तथा संतुष्ट होकर भुगतान किया जाय। कार्य का भुगतान वास्तविक मापी के आधार पर किया जाय।

11. आप से प्राप्त सभी कोटेशन कागजात एवं वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी मूल में अग्रत्तर कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है।

12. कार्य का एकरारनामा F2 Form पर कोटेशन आमंत्रण सूचना मे दी गई शर्त्तो का पूर्णतः पालन करते हुए किया जाय। कार्य को N.I.Q की सभी शर्त्तो के अनुसार कार्य पूर्ण होने के तिथि के बाद से तीन वर्ष तक Capital मेनटेन/रख–रखाव करना होगा, तथा N.I.Q में दिए गए मेक के आधार सामाग्रियों की आपूर्त्ति कर कार्य कराया जाय।

विश्वासभाजन

अनु0:– कोटेशन संबंधी अभिलेख मूल में एवं तुलनात्मक विवरणी के साथ।

02/7/18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 11 न0वि0 अभि0 (को0) प्र0 भ0 41/2014 816 पटना, दिनांक 02/7/18

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

02/7/18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।